रजिस्टर्ड नं०-एल०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्लू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 14 मई, 2022 ई० (बैशाख 24, 1944 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड-पत्र, खण्ड-क—नगरपालिका परिषद, खण्ड-ख—नगर पंचायत, खण्ड-ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ—जिला पंचायत।

खण्ड-घ—जिला पंचायत

प्रति प्रमाणित

प्रशासनिक अधिकारी
जिला पंचायत एटा

25 अप्रैल, 2022 ई०

सं० 1850/एल०बी०ए०/2022-23—उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) की धारा 239 (1) एवं धारा 239 (2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 143 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर के जिला पंचायत, एटा ने ग्राम्य क्षेत्र, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 2 (10) में परिभाषित है, में से इस क्षेत्र में स्थापित किसी विकास प्राधिकरण एवं उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 2 (डी) में घोषित औद्योगिक विकास क्षेत्र को हटाते हुए, शेष ग्राम्य क्षेत्र के अन्तर्गत बनने वाले सभी प्रकार के भवनों के नक्शों एवं निर्माण को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से निम्न उपविधियां बनाये जाने का प्रस्ताव करती है तथा यह भी निर्देशित करती है कि उपविधियों को जनसाधारण की जानकारी हेतु दैनिक समाचार–पत्र में प्रकाशित कर जनसाधारण को सूचनार्थ एवं उसके विचार/आपत्तियाँ आमन्त्रित की जाये जो इस विज्ञापन के 30 दिवस के अन्दर प्राप्त होगें। तत्पश्चात् उन्हे अन्तिम रूप देकर नियत प्राधिकारी आयुक्त, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़ के अनुमोदन हेतु प्रेषित की जायेगी।

अतः मै, गौरव दयाल, आयुक्त, अलीगढ मण्डल, अलीगढ़ उक्त अधिनियम की धारा 242(2) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर के इनकी पुष्टि करते हुये एतद् द्वारा प्रकाशित करता हूँ। यह उपविधियाँ प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

भवनों के नक्शों एवं निर्माण को नियंत्रित एवं विनियमित करने सम्बन्धी उपविधिया

1—अधिनियम का तात्पर्य उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 से है।

2—ग्राम्य क्षेत्र से तात्पर्य जिले में स्थित प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, छावनी तथा नगर निगम क्षेत्र के अतिरिक्त उस क्षेत्र को हटाते हुए जो कि किसी विकास प्राधिकरण या यू०पी०एस०आई०डी०सी० के द्वारा अधिग्रहीत किया गया हो एवं जिसके अधिग्रहण की सूचना पूर्ण विवरण सहित यथा ग्राम का नाम, गाटा/खसरा संख्या, अधिग्रहीत क्षेत्रफल आदि गजट में प्रकाशित की जा चुकी हो।

3—विनियमन का मतलब भवन के मूल निर्माण एवं बने हुए भवन में अतिरिक्त निर्माण एवं फेरबदल की कार्यवाही को विनियमित करने से है।

4—मानचित्र से तात्पर्य भवन के ड्राइंग, डिजाईन एवं विशिष्टियों के अनुसार कागज/इलेक्ट्रानिक्स डिवाइस पर बने उस नक्शे से है, जोकि पंजीकृत वास्तुविद के द्वारा बनाकर प्रस्तुत किया गया हो एवं डिजाइन योग्य (Elegible) अभियन्ता द्वारा तैयार किया गया हों।

5—निर्माण कार्य का तात्पर्य किसी भवन में निर्माण करना, पुनः निर्माण करना या उसमें सारवान विचलन करना या उसको ध्वस्त करने से है।

6—भवन की ऊंचाई का तात्पर्य संलग्न किसी नाली के टाप से लेकर उस भवन के सबसे ऊंचे बिन्दु तक नापी गयी लम्बवत (Vertical) ऊंचाई से एवं ढलान वाली छत के लिए दो गहराईयों के बीच से है। भवन की ऊंचाई में मम्टी, मशीनरूम, पानी की टंकी, एन्टीना आदि की ऊंचाई सम्मिलित नहीं होगी।

7—छज्जा का तात्पर्य ऐसे ढलाननुमा या भूमि के क्षितिज के अनुसार बाहर निकला हुआ भाग जो कि सामान्यतया सूरज या बारिश से बचाव के लिए बनाया जाता है।

8—ड्रेनेज का तात्पर्य उस व्यवस्था से है, जिसका निर्माण किसी तरल पदार्थ जैसे रसोई, स्नानगृह से विसर्जित पानी आदि को हटाने के लिए किया जाता है, इसके अन्तर्गत नाली व पाइप भी सम्मिलित हैं।

9—निर्मित भवन का तात्पर्य ऐसे भवन से है, जोकि परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में इन उपविधियों के लागू होने से पहले अस्तित्व में आ चुका है अथवा जिला पंचायत, एटा की स्वीकृति के बिना निर्मित किया गया हो। प्रति प्रमाणित

प्रशासनिक अधिकारी
जिला पंचायत एटा

10–तल (Floor Level) का तात्पर्य किसी मंजिल के उस निचले खंड से है, जहां पर सामान्यतः किसी भवन में चला फिरा जाता हो।

11–फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) का तात्पर्य उस भागफल से है, जो सभी तलो के आच्छादित कुल क्षेत्रफल को भू–खण्ड के क्षेत्रफल से भाग देने से प्राप्त होता है।

12–भू–आच्छादन (Ground Coverage) का तात्पर्य भूतल पर बने सभी निर्माण द्वारा घेरे गये क्षेत्रफल से है।

13–ग्रुप हाउसिंग का तात्पर्य उस परिसर से है, जिसके अन्दर आवासीय फ्लैट अथवा स्वतंत्र आवासीय (Independent Apartment Unit) इकाई बनी हों तथा मूल सुविधाओं जैसे पार्किंग, पार्क, बाजार, जनसुविधायें आदि का प्रावधान हो।

14–लेआउट प्लान का तात्पर्य उस नक्शे से है, जोकि किसी स्थल के समस्त भूखण्ड, भवन खण्ड, मार्ग, खुली जगह, आने–जाने के बिन्दु, पार्किंग व्यवस्था, भूनिर्माण (Landscaping) अथवा विभिन्न आकार की प्लाटिंग की समस्त जानकारी व अन्य विवरण को इंगित करने वाला प्लान से है।

15–प्राविधिक (Technical) व्यक्ति का तात्पर्य निम्नलिखित से है–

(अ) अभियंता–अभियंता, ज़िला पंचायत, एटा

(ब) अवर अभियंता–इस उपविधि में अवर अभियंता का तात्पर्य उस अवर अभियंता से है जिसको अभियंता, जिला पंचायत, एटा द्वारा भवन के नक्शों की स्वीकृति की कार्यवाही के लिए निर्देशित (Designated) किया गया हो।

16–कार्य अधिकारी का तात्पर्य कार्य अधिकारी, जिला पंचायत, एटा से है।

17–अधिभोग (Occupancy) का तात्पर्य उस प्रयोजन से है, जिसके लिए भवन या उसका भाग प्रयोग में लाया जाना है, जिसके अन्तर्गत सहायक अधिभोग भी सम्मिलित है।

18–स्वामी का तात्पर्य व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, कम्पनी, ट्रस्ट, पंजीकृत संस्था राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के विभाग एवं अन्य प्राधिकरण जिसके/जिनके नाम में भूमि का स्वामित्व सम्बन्धित अभिलेखों में दर्ज है।

19–रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तात्पर्य बरसात के पानी को उपयोग करके विभिन्न तकनीकों से भूगर्भ जल के स्तर को ऊंचा उठाने से है।

20–सेटबैक का तात्पर्य किसी भवन के चारो तरफ यथा स्थिति या मानक के अनुसार एवं बाउन्ड्री दीवार के बीच छोड़ी गयी खाली जगह अथवा रास्ते से है।

21–अपर मुख्य अधिकारी का तात्पर्य अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, एटा से है।

22–जिला पंचायत का तात्पर्य अधिनियम की धारा 17(1) में संघटित जिला पंचायत, एटा से है।

23–अध्यक्ष का तात्पर्य अध्यक्ष, जिला पंचायत, एटा से है।

24–बहु मंज़िली भवन (Multy Storey) चार मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊंचाई का भवन बहु मंजिल कहलायेगा।

25–मंजिल का तात्पर्य भवन के उस भाग से है, जो किसी तल की सतह और इसके उपर के अनुवर्ती तल के बीच हो और यदि इसके उपर कोई तल न हों, तो वह स्थान जो तल और इसके उपर की छत के मध्य हों।

26–भवन का तात्पर्य ऐसी स्थायी प्रकृति के निर्माण अथवा संरचना से है, जो कि किसी भी प्रकार की सामग्री से निर्माण किया जायें, एवं उसका प्रत्येक भाग चाहें मानव प्रयोग या अन्यथा किसी अन्य प्रयोग में लाया जा रहा हो एवं उसके अन्तर्गत बुनियाद, कुर्सी क्षेत्र, दीवार, फर्श, छत, चिमनी, पानी की व्यवस्था, स्थायी प्लेटफार्म, बरान्डा, प्रति प्रमाणित

प्रशासनिक अधिकारी
जिला पंचायत एटा

बालकनी, कार्नेस या छज्जा या भवन का अन्य भाग जो किसी खुले भू–भाग को ढकने के उददेश्य से बनाया जायेगा। इसके अन्तर्गत टेन्ट, शामियाना, तिरपाल आदि जोकि पूर्णतः अस्थायी रूप से किसी समारोह के लिये लगाये जाते हैं, वह भवन की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होंगे।

27–आवासीय भवन के अन्तर्गत वे भवन सम्मिलित होंगे जिनमें सामान्यतः आवासीय प्रयोजन के प्राविधान सहित शयन सुविधा के साथ खाना बनाने तथा शौचालय की सुविधा हो। इसमें एक अथवा एक से अधिक आवासीय इकाई शामिल है।

28–व्यवसायिक/वाणिज्यिक भवन के अन्तर्गत वे भवन या भवन का वह भाग जो दुकानों, भण्डारण बाजार व्यवसायिक वस्तुओं के प्रदर्शन, थोक या फुटकर बिक्री, व्यवसाय से सम्बन्धित कार्यकलाप होटल, पैट्रोल पम्प, कन्चीनिएन्स स्टोर्स एवं सुविधाएं जो माल व्यवसायिक माल की बिक्री से अनुशांगिक हों और उसी भवन में स्थित हों सम्मिलित होंगे अथवा ऐसे भवन/स्थल जिनका प्रयोग धनोपार्जन हेतु किया जाना हो।

29–संकटमय भवन के अन्तर्गत भवन या भवन के वह भाग सम्मिलित होंगे जिनमें अत्यधिक ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री या उत्पाद का संग्रहण, वितरण, उत्पादन या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) का कार्य होता हो या जो अत्याधिक ज्वलनशील हो या जो ज्वलनशील भाप या विस्फोटक पैदा करता हो या जो अत्यधिक कारोसिव, जहरीली या खतरनाक क्षार, तेजाब हो या अन्य द्रव्य पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जिनमें ज्वाला, भाप पैदा होती हो, विस्फोटक जहरीले इरीटेन्ट या कारोसिव गैसें पैदा होती हों या जिनमें धूल के विस्फोटक मिश्रण पैदा करने वाली सामग्री या जिनके परिणामस्वरूप ठोस पदार्थ छोटे–2 कणों में विभाजित हो जाता हो और जिनमें तत्काल ज्वलन प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती हो, के संग्रहण वितरण या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) के लिए प्रयुक्त किया जाता हो।

30–भवन गतिविधि/भवन निर्माण का तात्पर्य किसी भवन के बनाने या पुनः बनाने या उसमें सारवान विचलन या ध्वस्त करने की कार्यवाही मानी जायेगी।

31–पार्किंग स्थल का तात्पर्य ऐसे चारदीवारी में बंद या खुले स्थान से है, जहां पर वाहन इकट्ठे रूप में खडे हो सकते है, परन्तु इसके लिए आवश्यक है, कि उक्त स्थान पर आने-जाने के लिए एक सुगम एवं स्वतंत्र जोडने वाला मार्ग बना हो।

इन उपविधियों में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, परन्तु वे उक्त परिभाषाओं में सम्मिलित नहीं है, का तात्पर्य वही होगा, जोकि ऐसे शब्दों का National Building Code एवं Bureau of Indian Standards यथा संशोधित में माना जाता है। किसी विरोधाभाष की स्थिति में अधिनियम के प्रावधान प्रभावी माने जायेंगे।

ये उपविधियां जिला पंचायत, एटा के उक्त परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में जोकि इन उपविधियों के लिए परिभाषित किया गया है, में किसी भी व्यक्ति, ठेकेदार कंपनी, फर्म या संस्था, सहकारी समिति, सोसाईटी, राजकीय विभाग द्वारा निर्माण कराये जाने वाले आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक भवन, शिक्षण संस्थान, फार्म हाउस, ग्रुप हाऊसिंग, दुकानों, मार्केट, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन इत्यादि का लेआउट प्लान एवं/या भवन प्लान एवं निर्मित भवनों में परिवर्तन, परिवर्धन, विस्तार को नियन्त्रित एवं विनियमित करने की उपविधियां कहलायेंगी ।

(क) नक्शा स्वीकृत न कराने की परिस्थितियां

ऐसे प्रकरण/निर्माण कार्य जिनमें उपविधियों के अन्तर्गत नक्शा स्वीकार कराना आवश्यक नहीं होगा।

1–उक्त परिभाषित ग्राम्य क्षेत्र में निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की स्वीकृति हेतु प्रार्थना–पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

(अ) ये उपविधियां कच्चे मकानों एवं गांव के मूल निवासी के शुद्धतया निजी आवास/कृषि कार्य हेतु बनाये जाने वाले 300 वर्गमी0 क्षेत्रफल एवं दो मंजिल तक ऊँचे आवासीय भवनों पर लागू नहीं होंगी परन्तु सुरक्षित डिजाईन व निर्माण की जिम्मेदारी मालिक की होगी एवं उक्त निर्माण/कार्यवाही करने से पूर्व जिला पंचायत, एटा को एक लिखित सूचना देनी होगी।

प्रतिप्रमाणित

प्रशासनिक अधिकारी
जिला पंचायत एटा

(ब) सफेदी व रंग–रोगन के लिए।

(स) प्लास्टर व फर्श मरम्मत के लिए।

(य) पूर्व स्थान पर छत पुनर्निर्माण के लिए।

(र) प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त भवन के हिस्से का पुनर्निर्माण।

(व) मिट्टी खोदने या मिट्टी से गड्डा भरना।

(ख) प्रार्थना-पत्र, भू-अभिलेख व नक्शे

उक्त ग्राम्य क्षेत्र में कोई भी नया निर्माण, पुराने भवन में परिवर्तन या परिवर्द्धन, विस्तार या भू-खण्ड के ले-आउट की स्वीकृति का आशय रखने वाला स्वामी इन उपविधियों के अनुसार, ऐसा करने से एक माह पहले अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, एटा को एक आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख तथा सूचनायें प्रस्तुत करेगा एवं पावती रसीद प्राप्त करेगा।

1–स्थल का नक्शा निम्नवत् दिया जायेगा–

ले-आउट प्लान का पैमाना 1:500 होगा।

की-प्लान का पैमाना 1:1000 होगा।

बिल्डिंग प्लान का पैमाना 1:100 होगा।

स्थल के चारों तरफ की सीमायें उनके नाम, तथा समीपवर्ती भूमि का संक्षिप्त विवरण तथा भूमि मालिक का नाम। समीपवर्ती मार्ग अथवा मार्गों का विवरण तथा निर्माणाधीन भवन से मार्ग की दूरी। स्थल के नक्शे के साथ भूमि के स्वामित्व का प्रमाण पत्र जैसे विक्रय आलेख, दाखिल खारिज, खतौनी आलेख।

2–प्रस्तावित भवन/परियोजना का नक्शा उपरोक्त वर्णित पैमाने के अनुसार होगा–

(अ) प्रत्येक मंजिल के ढके हुए भाग का नक्शा विवरण सहित।

(ब) नक्शे पर पंजीकृत वास्तुविद् का पंजीकरण नम्बर, नाम व पता सहित हस्ताक्षर।

(स) नक्शे पर भू-स्वामी अथवा स्वामियों के नाम व पता सहित हस्ताक्षर।

(य) भू-स्वामी अथवा स्वामियों द्वारा नक्शा स्वीकृति के लिए प्रार्थना-पत्र।

(र) भवन/परियोजना के बनाने व उपयोग का उद्देश्य जैसे आवासीय, व्यावसायिक, शिक्षण, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन।

(ल) स्थल का की-प्लान, ले-आउट प्लान, फ्लोर-प्लान, एलिवेशन, भवन की ऊंचाई, सेक्सन, स्ट्रक्चर विवरण, रैन हार्वेस्टिंग प्रणाली, बेसमेंट, लैंडस्केप प्लान, वातानुकूलित प्लांट, सीवेज-जल निस्तारण व्यवस्था अग्नि निकास जीने की स्थिति व अन्य विवरण।

(व) नक्शे पर परियोजना का नाम, शीर्षक, भू-खण्ड का खसरा, ग्राम, तहसील सहित पूरा पता।

(स) नक्शे पर भू-खण्ड का क्षेत्रफल, ग्राउंड कवरेज, हर तल का क्षेत्रफल, बेसमेंट का क्षेत्रफल आदि का विवरण।

3–बहुमंजिली भवन (मल्टी स्टोरी) चार मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊंचाई के भवन में नक्शे पर निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना भी देनी होगी–

अग्निशमन प्रणाली की व्यवस्था आपात सीढ़ी व निकासी, अग्निसुरक्षा लिफ्ट अग्निअलार्म आदि का विवरण व ठिकाने (Location) निर्माण कार्य एवं निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियां आदि।

प्रति प्रमाणित

प्रशासनिक अधिकारी
जिला पंचायत एटा

(ग) नक्शा स्वीकृति प्रदान न करने की परिस्थितियां

निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की किसी भू-खण्ड पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी यदि–

(अ) प्रस्तावति भवन–उपयोग अनुमन्य भू-उपयोग से भिन्न है।

(ब) प्रस्तावित निर्माण धार्मिक प्रकृति का है और उससे किसी समाज की धार्मिक भावनायें आहत होती हो।

(स) प्रस्तावित निर्माण का उपयोग लोगों की भावनायें भड़काने का स्रोत (Source of Annoyance) अथवा आस-पास रहने वालों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालता हो।

(घ) तकनीकी अनुदेश (Technical Instructions)

1–(क) एक आवास गृह में 4.5 व्यक्ति प्रति गृह माना (Consider) गया है।

(ख) भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt Parking) अधिकतम 2.4 मी0 ऊँचाई तक अनुमन्य होगी।

(ग) लिंटल (Lintel) अथवा छत स्तर पर छज्जा अधिकतम क्रमशः 0.45 मी0 एवं 0.75 मी0 चौड़ा होगा।

(घ) बेसमेंट का निर्माण भवन की सीमा से बाहर नहीं किया जायेगा। बेसमेंट की फर्श से सीलिंग तक की अधिकतम उंचाई 4.5 मीटर तथा बाहर की नाली से बेसमेंट की अधिकतम उंचाई 1.5 मीटर होगी। स्ट्रक्चर स्थिरता के आधार पर बेसमेंट सन्निकट (Adjacent) प्लाट से 2.0 मीटर दूरी तक निर्मित किया जा सकता है।

(ङ) बहु मंजिली भवन में कम से कम एक सामान (Goods)/मालवाहक लिफ्ट का प्रावधान करना होगा।

(च) राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) 2005 के प्रावधान के अनुसार ग्रुप हाउसिंग के दो ब्लॉक में न्यूनतम 6.0 मीटर से 16.0 मीटर की दूरी होगी। भवन की 18.0 मीटर उंचाई तक 6.0 मीटर इसके पश्चात् प्रत्येक 3.0 मी0 अतिरिक्त उंचाई के लिए ब्लाक की दूरी 1.0 मीटर बढ़ाई जायेगी। भू-खण्ड के डेड एन्ड (Dead End) पर ब्लॉक की अधिकतम दूरी 9.0 मी0 होगी।

(छ) बहु मंजिली भवन में चार तलों के बाद एक सेवा तल अनुमन्य होगा किसी भवन में अधिकतम 3 सेवा तल का प्रावधान किया जा सकता है सेवा तल की अधिकतम उंचाई 2.4 मी0 होगी।

2–निम्नलिखित निर्माण/सुविधाओं के लिए भू-खण्ड का 10 प्रतिशत क्षेत्रफल, भू-आच्छादन (Ground Coverage) में अतिरिक्त जोड़ा जा सकता है।

(क) जनरेटर कक्ष, सुरक्षा मचान, सुरक्षा केबिन, गार्ड रूम, टॉयलेट ब्लॉक, ड्राईवर रूम, विद्युत उपकेन्द्र आदि।

(ख) मम्टी, मशीन रूम, पम्प हाउस, जल-मल प्लांट।

(ग) ढके हुए पैदल पथ आदि।

3–(क) आवासीय भवन में कमरे का आकार 2.4 मीटर एवं 9.5 वर्गमीटर से कम न होना चहिए। प्रति प्रमाणित

(ख) छत की सीलिंग की ऊंचाई 2.75 मी0 से कम न होनी चाहिए।

प्रशासनिक अधिकारी
जिला पंचायत एटा

(ग) ए0सी0 कमरे की ऊंचाई 2.40 मीटर से कम न होनी चाहिए।

(घ) रसोई घर की ऊंचाई 2.75 मी0, आकार 1.80 मी0 एव 5.00 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए ।

(ङ) संयुक्त संडास (Toilet) का आकार 1.20 मी0 एवं 2.20 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए।

(च) खिड़की व रोशनदान का क्षेत्रफल फर्श के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत से कम न होना चाहिए।

(छ) तीन मंजिल तक के भवन में सीढ़ी की चौड़ाई 1.00 मीटर एवं इससे अधिक उंचे भवन में 1.50 मीटर से कम न होनी चाहिए।

4—(क) पार्क, टोट—लोट्स (Tot-Lots), लैंड स्केप (Landscape) आदि का क्षेत्रफल भू-खण्ड के क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत होगा।

(ख) 30 मीटर तक के मार्ग पर स्थित समस्त प्रकार के भवनों की अधिकतम ऊंचाई सड़क की विद्यमान चौड़ाई तथा अनुमन्य फ्रन्ट सेट-बैक के योग का डेढ़ गुना होगी।

(ग) भू-कम्प रोधी व सुरक्षित डिजाईन की जिम्मेदारी वास्तुविद् एवं उसके अन्तर्गत कार्यरत डिजाईनर की होगी।

5—स्वीकृत किये गये भवन में जल आपूर्ति एवं मल-मूत्र एवं बेकार पानी के निस्तारण (Disposal) की व्यवस्था स्वामी द्वारा स्वयं की जायेगी। जिला पंचायत का इसके लिए कोई उत्तरदायित्व, व्यय अधिभार नहीं होगा।

6—बेसमेंट में इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर की स्थापना, ज्वलनशील, विस्फोटक सामग्री आदि का भण्डारण नहीं किया जा सकेगा।

(ङ) रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

भवन एवं पक्की सड़कों के द्वारा भू-खण्ड के प्रत्येक 300 वर्गमीटर के भू-आच्छादन (Ground Coverage) पर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा। प्रत्येक 1000 वर्गमीटर के भू-आच्छादन (Ground Coverage) पर एक अतिरिक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करना होगा।

(च) भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो (FAR)

विभिन्न भवनों हेतु भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) के मानक निम्नवत् होंगे—

क्रमांक	भवन एवं भू-उपयोग	भू-आच्छादन प्रतिशत	फ्लोर एरिया रेशियो (FAR)	भवन की अधिकतम ऊंचाई सूची (1) के अनुसार जनपदों में (मीटर)	भवन की अधिकतम ऊंचाई अन्य जनपदों में (मीटर)
1	2	3	4	5	6
1	(I) आवासीय भवन भू-खण्ड 500 वर्ग मीटर तक	80	3.00	15	15
	(II) आवासीय भवन भू-खण्ड 500-2000 वर्ग मीटर तक	65	4.00	15	15
2	ग्रुप हाउसिंग योजना, रैन बसेरा (Night Shelter)	50	3.00	30	21
3	औद्योगिक भवन	60	1.00	18	12
4	व्यावसायिक भवन—				
	(i) सुविधा (Convenient) शापिंग केन्द्र, शापिंग माल्स, व्यावसायिक केन्द्र, होटल	40	2.50	30	21

प्रति प्रमाणित

प्रशासनिक अधिकारी
जिला पंचायत एटा

1	2	3	4	5	6
	(ii) बैंक, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	40	1.50	24	18
	(iii) वेयर हाउस, गोदाम	60	1.50	18	15
	(iv) दुकानें व मार्केट	60	1.50	15	10
5	संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन–				
	(i) सभी उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, डिग्री कालेज आदि	50	1.50	24	15
	(ii) हायर सेकेंडरी, प्राईमरी, नर्सरी स्कूल, क्रेच सेंटर आदि	50	1.50	24	15
	(iii) हास्पिटल, डिस्पेंसरी, चिकित्सालय, लैब, नर्सिंग होम आदि	75	2.50	24	15
6	धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन–	50	1.20	15	10
	(i) सामुदायिक केन्द्र क्लब, बारात घर, जिमखाना, अग्निशमन केन्द्र, डाकघर, पुलिस स्टेशन	30	1.50	15	10
	(ii) धर्मशाला, लॉज, अतिथिगृह, हॉस्टल	40	2.50	15	10
	(iii) धर्मकांटा, पेट्रोल पम्प, गैस गोदाम, शीत गृह	40	0.50	10	6
7	कार्यालय भवन–				
	सरकारी, अर्द्धसरकारी, कॉर्पोरेट एवं अन्य कार्यालय भवन	40	2.00	30	15
8	क्रीड़ा एवं मनोरंजन कॉम्पलेक्स, शूटिंग रैंज, सामाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र	20	0.40	15	10
9	नर्सरी	10	0,50	6	6
10	बस स्टेशन, बस डिपो, कार्यशाला	30	2.00	15	12
11	फार्म हाउस	10	0.15	10	6
12	डेरी फार्म	10	0.15	10	6
13	मुर्गा, सूअर, बकरी फार्म	20	0.30	6	6
14	ए0टी0एम0	100	1.00	6	6

प्रति प्रमाणित

प्रशासनिक अधिकारी
जिला पंचायत एटा

(ज) सेट बैक (Set Back)

क्रमांक	भू-खण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	सामने (Front) मीटर	साईड (Side) मीटर	पीछे (Reer) मीटर	लैंड स्केपिंग (Landscapint)	खुला स्थान प्रतिशत तक
1	2	3	4	5	6	7
1	150 तक	3.0	0.0	1.5	एक वृक्ष प्रति 100 वर्ग मीटर	25
2	151—300	3.0	0.0	3.0	तदेव	25
3	301—500	4.5	3.0	3.0	तदेव	25
4	501—2000	6.0	3.0	3.0	तदेव	25
5	2001—6000	7.5	4.5	6.0	तदेव	25
6	6001—12000	9.0	6.0	6.0	तदेव	25
7	12001—20000	12.0	7.5	7.5	तदेव	50
8	20001—40000	15.0	9.0	9.0	तदेव	50
9	40001 से अधिक	16.0	12.0	12.0	तदेव	50

(झ) पार्किंग स्थान

क्रमांक	भवन / भू-खण्ड	पार्किंग स्थान ECU (Equivalent Car Unit)
1	2	3
1	ग्रुप हाउसिंग योजना	एक ECU प्रति 80 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
2	संस्थागत्त एवं शैक्षणिक भवन	एक ECU प्रति 100 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
3	औद्योगिक भवन	एक ECU प्रति 100 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
4	व्यावसायिक भवन	एक ECU प्रति 30 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
5	सामाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र	एक ECU प्रति 50 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
6	लॉज, अतिथिगृह, हॉस्टल	एक ECU प्रति 2 अतिथि रूम के लिए
7	हॉस्पिटल, नर्सिंग होम	एक ECU प्रति 65 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
8	सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	एक ECU प्रति 15 सीट्स
9	आवासीय भवन	एक ECU प्रति 150 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का

(ञ) अग्नि शमन पद्धति, अग्नि सुरक्षा एवं सर्विसेस

(i) तीन मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊंचे भवनों और विशिष्ट भवन यथा—संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन, व्यावसायिक भवन, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स 400 वर्ग मीटर से अधिक भू-आच्छादन के भवन में अग्नि निकास हेतु एक जीना बाहर की दीवार पर एवं अग्नि सुरक्षा के अन्य सभी प्रावधान करने होंगे। भवन के चारों तरफ

प्रति प्रमाणित

प्रशासनिक अधिकारी
जिला पंचायत एटा

बाउन्ड्री दीवार के साथ.साथ 6 मीटर चौड़ा मार्ग का प्रावधान करना होगा, जिसमें दमकलों के चालन हेतु कम से कम 4 मीटर चौड़ाई का परिवहन मार्ग (Carriage Way) होगा।

(ii) अग्नि निकास जीने की न्यूनतम चौड़ाई 1.2 मीटर, ट्रेड की न्यूनतम 28 से0मी0, राईजर अधिकतम 19 से0मी0, एक फ्लाईट में अधिकतम राईजरों की संख्या 16 तक सीमित होगी।

(iii) अग्नि निकास जीने तक पहुँच दूरी 15 मीटर से अधिक न होनी चाहिए।

(iv) घुमावदार अग्नि निकास जीने का प्रावधान 10 मीटर से अधिक ऊंचे भवनों में नहीं किया जायेगा।

(v) उपरोक्त भवनों हेतु अग्नि शमन विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण.पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी।

(vi) उपरोक्त भवनों में उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम (6) 2005 एवं राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) 2005 भाग 4 के अनुसार प्रावधान किया जायेगा जैसे स्वचालित स्प्रिंक्लर पद्धति, फर्स्ट एंड हॉज रील्स, स्वचालित अग्नि संसूचन और चेतावनी पद्धति, सार्वजनिक संबोधन व्यवस्था, निकास मार्ग के संकेत चिन्ह, फायर मैन, स्विच-युक्त फायर लिफ्ट, वेट राइजर डाउन कॉर्नर सिस्टम आदि।

(ट) इलेक्ट्रिक लाईन से दूरी

क्रमांक	विवरण	उर्ध्वाकार दूरी मीटर	क्षैतिज दूरी मीटर
1	2	3	4
1	लो एंड मीडियम वोल्टेज लाईन तथा सर्विस लाईन	2.4	1.2
2	हाई वोल्टेज लाईन 33000 वोल्टेज तक	3.7	1.8
3	एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाईन	3.7 + (0.305 एम) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर	1.8 + (0.305एम) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर

(ठ) मोबाइल टावर्स की स्थापना

(क) मोबाइल टावर की स्थापना हेतु भवन स्वामी एवं आवासीय कल्याण समिति (RWA) की अनापत्ति प्रस्तुत करनी होगी।

(ख) जनरेटर केवल 'साइलेंट' प्रकृति के होंगे तथा भू-तल पर ही लगाये जायेंगे।

(ग) यदि टावर का निर्माण भवन की छत पर किया जाता है तो टावर का निचला भाग भवन की छत से न्यूनतम 3 मीटर ऊपर होना चाहिये।

(घ) जहां अपेक्षित हो, वहां टावर के निर्माण से पूर्व एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया / वायुसेना का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(ङ) सेवा आपरेटर कंपनी और भवन स्वामी के संयुक्त हस्ताक्षर से इस आशय का भापथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि टावर निर्माण के फलस्वरूप आस-पास के भवन एवं जान-माल को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का समस्त दायित्व सम्बन्धित कंपनी और भवन स्वामी का होगा।

प्रति प्रमाणित

प्रशासनिक अधिकारी
जिला पंचायत एटा

(च) इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडियों विकिरण, वायब्रेसन (कम्पन) आदि के रूप में होने वाले दुष्परिणामों के नियंत्रण हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा अन्य शासकीय अभिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

(छ) अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिए सूची (1) के अनुसार जनपदों में प्रथम बार शुल्क के रूप में एक लाख रुपये व अन्य जनपदों में पचास हजार रुपये जिला पंचायत में जमा कराने होंगे। यह शुल्क एक वर्ष की अवधि के लिए होगा तथा अप्रत्यपर्णीय (Non-Refundable) होगा। अनुज्ञा के नवीनीकरण के लिए प्रथम बार की शुल्क का 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष जमा कराने होंगे।

(ज) शैक्षणिक संस्था, हास्पिटल, अधिक घनत्व वाली आवासीय बस्ती अथवा धार्मिक भवन/स्थल आदि पर या इनके 100 मीटर के दायरे में मोबाइल टावर की स्थापना नहीं की जायेगी।

(ड) नक्शे स्वीकृति की दरें

(क) आवासीय भवन एवं शैक्षणिक भवन सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर रुपये 25.00 प्रति वर्ग मीटर होगी।

(ख) व्यावसायिक एवं व्यापारिक भवन सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर रुपये 50.00 प्रति वर्ग मीटर होगी।

(ग) [i] भूमि की प्लाटिंग–भूमि को योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न आकार के प्लाटों में बांटना है।

[ii] भूमि विकास–भूमि पर योजनाबद्ध तरीके से पार्क, उद्यान बनाना, फार्म हाउस विकसित करना, नर्सरी लगाना, शादी बैंकट हाल आदि।

[iii] भूमि का उपभोग–भूमि का विभिन्न प्रकार के सामानों के भण्डारण हेतु प्रयोग करना जैसे निर्माण सामग्री, कन्टेनर, ईंधन आर०सी०सी० पाईप आदि।

[iv] किसी परियोजना का ले आउट प्लान (तल पट मानचित्र)

उपरोक्त ग (i) से (iv) तक रुपये 20.00 प्रति वर्ग मीटर होगी।

(घ) पुराने भवन को ध्वस्त करने के पश्चात् पुनः निर्माण करने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों के समान होंगी।

(ङ) स्वीकृत भवन के नक्शे में संशोधन होने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों की एक चौथाई होंगी

(च) बेसमेंट, स्टिल्ट, पोडियम सेवा क्षेत्र व अन्य आच्छादित क्षेत्र की अनुज्ञा शुल्क में गणना की जायेगी।

(छ) यदि स्वीकृति के नवीनीकरण का आवेदन, अनुज्ञा अवधि समाप्ति से पूर्व किया जाता है तो स्वीकृति के नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 10 प्रतिशत होंगी। एक बार में अनुज्ञा की अवधि एक वर्ष व अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। अनुज्ञा अवधि समाप्ति के पश्चात् नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 50 प्रतिशत होंगी।

(ज) उपविधियों के अनुसार, जिला पंचायत, एटा के नक्शों की स्वीकृति के बिना निर्माण करने, किसी भूमि पर व्यवसाय करने, स्वीकृत नक्शे से इतर निर्माण करने अथवा जिला पंचायत भवन उपविधि की किसी धारा या उपधारा का उल्लंघन करने पर अर्थ-दण्ड के रूप में समझौता शुल्क (Compounding Fees) रोपित किया जायेगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) प्रस्तावित भवन अथवा ले-आउट प्लान (तल पट मानचित्र) पर परिस्थिति अनुसार, कुल

प्रतिप्रमाणित

प्रशासनिक अधिकारी
जिला पंचायत एटा

शुल्क की गणना का कम से कम 20 प्रतिशत से अधिकतम 50 प्रतिशत अतिरिक्त होगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) विभाग में जमा होने के उपरान्त पूर्व में निर्मित भवन के नक्शों की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। समझौते की कार्यवाही अधिनियम की धारा 248 में दी गई व्यवस्था से नियन्त्रित होगी।

(झ) पूर्णता प्रमाण-पत्र (Completion Certificate) जारी करने की दरें 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर होंगी। ये दरें सभी तलों के कुल आच्छादित क्षेत्रफल पर लागू होंगी।

(ण) बाउन्ड्रीवाल स्वीकृति की दर 5.00 रुपये प्रति मीटर होगी।

नोट–(शुल्क निर्धारण हेतु, भवन के सभी तलों पर फर्श के कुल क्षेत्रफल की गणना करनी होगी।)

(ण) अनुज्ञा-पत्र जारी करने की प्रक्रिया

1–स्वामी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित भवन/परियोजना के नक्शे एवं स्वामित्व के भूअभिलेख अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, एटा के कार्यालय में जमा किये जायेंगे एवं आवेदक को इस प्रस्तुतिकरण की दिनांकित पावती दी जायेगी।

2–ऐसे आवेदन पत्र एवं उसके साथ संलग्नकों को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल कार्य अधिकारी को भू अभिलेखों के परीक्षण हेतु पृष्ठांकित कर देगा।

3–कार्य अधिकारी ऐसे प्राप्त आवेदन पर उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण करके अधिकतम एक सप्ताह में सम्बन्धित अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, एटा को प्रस्तुत कर देगा। कार्य अधिकारी की तैनाती न होने की दशा में उपरोक्त कार्यवाही अपर मुख्य अधिकारी द्वारा स्वयं की जायगी।

4–कार्य अधिकारी से प्राप्त आख्या को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल अभियन्ता, जिला पंचायत, एटा को पृष्ठांकित कर देगा।

5–अभियन्ता द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थलीय सर्वेक्षण हेतु निर्देशित ;क्मेपहदंजमकद्ध अवर अभियन्ता, को स्थल के सर्वेक्षण हेतु आदेशित किया जायेगा।

6–अवर अभियन्ता द्वारा स्थल सर्वेक्षण की आख्या अधिकतम एक सप्ताह में अभियन्ता, जिला पंचायत, एटा को प्रस्तुत की जायेगी।

7–अवर अभियन्ता से सर्वेक्षण आख्या प्राप्त होने के उपरान्त बहुमंजिली भवन, व्यावसायिक भवन, संकटमय भवन एवं शैक्षणिक भवन अथवा अन्य महत्वपूर्ण परियोजना के नक्शा पारित करने से पहले अभियन्ता ज़िला पंचायत द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थल का सर्वेक्षण करना अनिवार्य होगा।

8–अभियन्ता द्वारा स्थल की सर्वेक्षण आख्या प्रस्तुत करने के उपरान्त सर्वेक्षण आख्या का परीक्षण किया जायेगा। परियोजना के नक्शों की स्वीकृति हेतु अवर अभियन्ता से एक अंतरिम शुल्क की गणना करके अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, एटा को सूचित किया जायेगा। आवेदक द्वारा आगणित अन्तरिम शुल्क की 20 प्रतिशत धनराशि अग्रिम रूप से नोटिस प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय जिला पंचायत, एटा में जमा करनी होगी। इसके उपरान्त ही नक्शे के विषय में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि नक्शा पारित होने के स्तर पर आवेदक मांग पत्र के अनुसार निर्धारित अवधि में यदि शुल्क जमा करता है तो उक्त धनराशि समायोजित ;करनेजद्ध हो जायेगी अन्यथा की दशा में जमा धनराशि जब्त हो जायेगी।

प्रति प्रमाणित

प्रशासनिक अधिकारी
जिला पंचायत, एटा

9—जिला पंचायत, एटा के अभियन्ता द्वारा परियोजना की संभाव्यता, (Possibility), सुगमता (Convenience), साध्यता (Feasibility), तकनीकी जांच व जिला पंचायत भवन उपविधि में तकनीकी प्रावधानों एवं नक्शों का परीक्षण किया जायेगा। आवश्कता समझने पर नक्शों में संशोधन हेतु आवेदन कर्ता को निर्देशित किया जायेगा।

10—अभियन्ता द्वारा परियोजना तकनीकी दृष्टि से सुस्थित (Sound) पाये जाने पर अपनी तकनीकी आख्या अपर मुख्य अधिकारी को अधिकतम 15 दिन में प्रस्तुत करनी होगी। अवर अभियन्ता से आंगणित शुल्क की धनराशि का विवरण प्रतिपरीक्षण (Cross Verification) कराके तकनीकी आख्या के साथ संलग्न करना होगा।

11—अपर मुख्य अधिकारी उक्त आख्या प्राप्त होने पर कार्य अधिकारी एवं अभियन्ता द्वारा प्राप्त आख्याओं का परीक्षण करके आवेदक को शुल्क जमा करने का मांग.पत्र जारी करेंगे। जिसमें आवेदक को शुल्क जमा करने के लिए एक माह का समय दिया जायेगा।

12—आवेदक द्वारा नक्शा शुल्क निर्धारित समय में जमा कराना होगा। जिला निधि की रोकड़ बही में शुल्क की प्रविष्टि के उपरान्त अपर मुख्य अधिकारी द्वारा नक्शे की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

13—उपरोक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त आवेदक को अनुज्ञा.पत्र अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियन्ता एवं अभियन्ता, के संयुक्त हस्ताक्षर से आवश्यक शर्तों के साथ जारी किया जायेगा। नक्शों पर अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियन्ता द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

14—यदि जिला पंचायत, एटा द्वारा आवेदन प्राप्ति के दो माह के भीतर आवेदक को कोई सूचना अथवा शुल्क की मांग.पत्र जारी नहीं किया जाता है, तो आवेदक द्वारा निर्धारित दो माह की अवधि के समाप्ति के दिनांक से 20 दिन के भीतर प्रकरण अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, एटा के संज्ञान में लिखित रूप से लाया जायेगा। यदि इस पर भी अपर मुख्य अधिकारी 10 दिन में कोई कार्यवाही नहीं करता है तो पूर्व में प्रस्तुत नक्शा एवं निर्माण की स्वीकृति मानित स्वीकृति (Deemed Sanction) मानी जायेगी।

विवाद—उक्त कार्यवाही में किसी विवाद होने की दशा में या स्वीकृत नक्शा किन्हीं कारणों से निरस्त होने की दशा में या ऐसी कार्यवाही उत्पन्न होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रकरण अध्यक्ष, जिला पंचायत, एटा को सन्दर्भित किया जायेगा, जिसमें उनको अपना अनुदेश ऐसे प्रकरण की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर देना होगा एवं उनका ये आदेश उभयपक्षों पर बन्धनकारी होगा।

(त) सामान्य अनुदेश (General Instructions)

1—भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार एवं पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक, ईमारत या स्थल के 200 मीटर के दायरे में निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी। 200 मीटर से 1.5 किलो मीटर के दायरे में निर्माण की मंजिलो एवं ऊंचाई की अनुमति तत्समय आवश्यक और उचित कारण सहित दी जायेगी।

2—भू.खण्ड की सीमा से बाहर कोई निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

3—भवन के भू.तल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt Parking), वाहन पार्किंग, बेसमेन्ट वाहन पार्किंग, भण्डारण व सुविधाओं के रख.रखाव व सेवा तल (Service Floor) भण्डारण व सुविधाओं के रख.रखाव इत्यादि हेतु उपयोग किया जाये तो इनका क्षेत्रफल एफ0ए0आर0 में शामिल नहीं होगा।

4—निकटतम हवाई अड्डा चाहे विमानापत्तन प्राधिकरण (Airport Authority) द्वारा नियन्त्रित हो या रक्षा विभाग अथवा अन्य शासकीय विभाग द्वारा नियन्त्रित हो के 05 किमी0 की परिधि में 30 मी0 से ऊंचे भवन के आवेदनकर्ता को उक्त वर्णित प्रतिष्ठानों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना होगा।

प्रति प्रमाणित

10 घ

Say

प्रशासनिक अधिकारी
जिला पंचायत एटा

5–उपरोक्त उपविधि में सभी बातों के होते हुए भी जिला पंचायत, एटा यदि उचित व आवश्यक समझे तो, कारणों का उल्लेख करते हुए किसी भवन में भूआच्छादन, फ्लोर एरिया रेसियो ;शद्ध अथवा अधिकतम ऊंचाई में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान कर सकती है।

6–उपरोक्त सूची में उल्लिखित, भवनों के अतिरिक्त भवनों एवं गतिविधियों के नियमों व विनियमों का निर्धारण, जिला पंचायत, एटा द्वारा इस प्रकार के समकक्ष ;पउपसंतद्ध भवनों एवं गतिविधियों के लिए निर्धारित उपविधियों के अनुसार किया जायेगा।

7–मल्टी लेवल पार्किंग में संरचनात्मक एवं सुरक्षा की शर्तों के अधीन अधिकतम दो बेसमेन्ट अनुमन्य होंगे।

8–इन उपविधियों के आधीन जारी अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध एवं मान्य होगी।

9–इन उपविधियों के पालन न करने की दशा में सम्बन्धित उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध सी0आर0पी0सी0 की धारा 133 के अर्न्तगत जिला पंचायत, एटा द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

(थ) अनुज्ञा की शर्ते

अनुज्ञा-पत्र जारी होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आये कि नक्शे स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी है अथवा गलत विवरण दिया गया है तो जिला पंचायत, एटा द्वारा दी गई नक्शों की स्वीकृति निरस्त की जा सकती है, किया गया निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील (Seal) किया जा सकता है।

(क) अपर मुख्य अधिकारी को अधिकार होगा कि वह, अभियन्ता जिला पंचायत, एटा की संस्तुति पर, वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत नक्शों में संशोधन अथवा परिवर्तन कर दे अथवा स्वीकार कर दें।

(ख) पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा तैयार एवं हस्ताक्षरित नक्शे ही मान्य होंगे। परियोजना का डिजाईन वास्तुविद के अर्न्तगत कार्य करने वाले योग्य अभियन्ता द्वारा कराया जायेगा।

(ग) कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, फर्म या संस्था, राजकीय विभाग अथवा ठेकेदार आदि द्वारा प्रस्तावित मानचित्र जिला पंचायत, एटा से स्वीकृत होने के बावजूद अन्य उन सभी विभागों से जिनसे लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक है, अनुमति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(द) दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, एटा यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा वह अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो अंकन रु0 1,000.00 तक होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है रु0 50.00 प्रतिदिन हो सकेगा, अथवा अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डित किया जायेगा, जो कि तीन माह तक हो सकेगा।

गौरव दयाल,
आयुक्त,
अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।

प्रति प्रमाणित

प्रशासनिक अधिकारी
जिला पंचायत एटा

25 अप्रैल, 2022 ई0

ग्रामीण क्षेत्र में ठेकेदारी के कार्यों को नियन्त्रित एवं विनियमित करने सम्बन्धी उपविधियाँ

सं0 1851 / एल0बी0ए0 / 2022-23–उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, 1961 (अधिनियम सं0 33) उ0प्र0 पंचायत निधि संशोधन अधिनियम, 1994 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 9 सन् 1994) के अन्तर्गत धारा 143 के साथ पठित 145 एवं 239 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, एटा अपने नियन्त्रणाधीन जनपद एटा के ग्रामीण क्षेत्र में ठेकेदारी के कार्यों को नियन्त्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से उपविधियां बनायी है, जो सर्वसाधारण को सुझाव एवं आपत्ति आमन्त्रण हेतु प्रकाशित की जा रही हैं, प्रकाशन की तिथि से तीस दिवस के अन्दर प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर ही विचार किया जायेगा।

अतः मै गौरव दयाल, आयुक्त, अलीगढ मण्डल, अलीगढ़ उक्त अधिनियम की धारा 242 (2) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर के इनकी पुष्टि करते हुये एतद्द्वारा प्रकाशित करता हूँ। यह उपविधियाँ प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

उपनियम

1–कोई भी व्यक्ति, फर्म संस्था, समिति, कम्पनी आदि जो एटा जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत राज्य अथवा केन्द्र सरकार के किसी विभाग / संस्था निगम, कम्पनी, पंचायत, बोर्ड, अन्डरटेकिंग, संस्था आदि से ठेके लेकर भवन, सड़क, पुल, पुलिया, नहरों आदि के निर्माण, मरम्मत, खुदाई एवं भराई सम्बन्धित कार्य, रेलवेलाइन बिछाने, टेलीफोन व बिजली की लाइन बिछाने या अन्य सम्बन्धित कार्य करना चाहे तो उसे अपने को जिला पंचायत से पंजीकृत करवाकर लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।

2–जिला पंचायत, एटा में जो व्यक्ति, संस्था आदि ठेकेदारी करना चाहें उनके ऊपर यह उपविधियाँ यथावत् लागू होगीं।

3–इन उपविधियों के अन्तर्गत अध्यक्ष के अनुमोदन के उपरान्त अपर मुख्य अधिकारी अथवा मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, एटा लाईसेंस जारी करेगा।

4–ठेकेदारी लाइसेंस लेने के लिए जिस विभाग में ठेकेदारी का कार्य किया जाना है उस विभाग के विभागाध्यक्ष की संस्तुति सहित पंजीकरण के लिए प्रार्थना-पत्र निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ देना होगा–

(अ) अपने निवास स्थान के थाने से चरित्र प्रमाण-पत्र।

(ब) शासन के माल विभाग से किसी अधिकारी से हैसियत प्रमाण-पत्र जो तहसीलदार स्तर से कम न हो।

(स) जिस विभाग में ठेकेदारी का कार्य करना हो उसके विभागाध्यक्ष से ब्लैक लिस्ट न होने का प्रमाण-पत्र।

(द) प्रार्थना-पत्र में यह स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि किस विभाग में कितनी धनराशि तक का ठेका किस कार्य के लिए ले रहा है।

5–जिला पंचायत एटा द्वारा जिस विभाग की ठेकेदारी के लिए लाइसेंस प्रदान किया जायेगा उस लाइसेंस के केवल उसी विभाग में ठेकेदारी अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित मूल्य के कार्यों तक ही कर सकेगा।

प्रति प्रमाणित।

प्रशासनिक अधिकारी
जिला पंचायत एटा

6–विभिन्न विभागों के अन्तर्गत ठेकेदारी करने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।

7–यदि ठेकेदार अपनी दर्शायी हुई श्रेणी से अधिक की धनराशि का ठेका लेना चाहता है तो जिला पंचायत एटा में पुनः प्रार्थना-पत्र विभाग के विभागाध्यक्ष के संस्तुति सहित देगा तथा बढ़ाई हुई धनराशि की सीमा व श्रेणी के अनुसार लाइसेंस शुल्क अदा कर देने पर नया लाइसेंस दिया जायेगा। ऐसी स्थिति में पूर्व में दिया गया लाइसेंस निम्न श्रेणी स्वतः निरस्त हो जावेगा।

8–लाइसेंस की अवधि प्रतिवर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी।

9–शासन के किसी विभाग, संस्था, निगम, कम्पनी, पंचायत, बोर्ड, अन्डरटेकिंग आदि संस्थाओं के लिए आवश्यक होगा कि वह अपने कार्यों के ठेके जिला पंचायत से पंजीकृत और लाईसेंस शुदा ठेकेदार का ही दें।

10–जिला पंचायत एटा द्वारा ठेकेदारों का निम्नवत् श्रेणी में श्रेणीबद्ध व पंजीकृत किया जायेगा और उसी के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

(अ) रुपये 5,00,000.00 तक के ठेके लेने वाले ठेकेदार तृतीय श्रेणी के ठेकेदार होगें उनका लाईसेंस शुल्क 1,000.00 रुपया प्रतिवर्ष होगा।

(ब) रुपये 5,00,000.00 से 10,00,000.00 तक की धनराशि का ठेका लेने वाले ठेकेदार द्वितीय श्रेणी के ठेकेदार होगें और उनके लिए लाईसेंस शुल्क 2,500.00 रुपया प्रतिवर्ष होगा।

(स) रुपये 10,00,000.00 से अधिक धनराशि का ठेका लेने वाले ठेकेदार प्रथम श्रेणी के ठेकेदार होगें और उनके लिए लाईसेंस शुल्क 5,000.00 रुपया प्रतिवर्ष होगा।

11–यदि किसी विभाग, अर्द्धसरकारी संस्था, निगम, कम्पनी, पंचायत, बोर्ड, अन्डरटेकिंग द्वारा ठेकेदारों को विनियमित करने का प्राविधान है अथवा आगे किया जावे तो भी इस उपविधि के प्राविधान लागू होगें और सम्बन्धित नियम, उपनियम अथवा आदेशों के अन्तर्गत प्रदत्त अनुज्ञा इस लाईसेंस से अलग रहेंगी।

12–तकनीकी कार्यों के लिए सम्बन्धित विभागों की अनुज्ञा प्रस्तुत करने पर ही जिला पंचायत एटा द्वारा लाईसेंस प्रदान किया जायेगा।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 तथा संशोधित 1994 की धारा 240 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत एटा घोषणा करती है कि उपरोक्त में से किसी भी उपविधि का उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर अंकन 5,000.00 रुपया तक का अर्थदण्ड दिया जा सकता है तथा प्रथम दोष सिद्ध हो जाने पर प्रत्येक ऐसे दिवस के लिए जिसमें उल्लंघन जारी रहा है तो 250.00 प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदण्ड किया जा सकता है और अर्थदण्ड जमा न होने पर तीन माह का कारावास भी दण्ड दिया जा सकता है।

गौरव दयाल,
आयुक्त,
अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।

प्रति प्रमाणित

प्रशासनिक अधिकारी
जिला पंचायत एटा

25 अप्रैल, 2022 ई0

विज्ञापन पट्ट, क्यास, दीवाल, प्रचार तथा अन्य प्रचार कार्य को विनियमित एवं नियन्त्रित करने सम्बन्धी उपविधियाँ

सं0 1852 / एल0बी0ए0 / 2022-23-उ0प्र0 समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, 1961 (अधिनियम सं0 33) उ0प्र0 पंचायत निधि संशोधन अधिनियम, 1994 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 9 सन् 1994) के अन्तर्गत धारा 143 के साथ पठित 145 एवं 239(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, एटा अपने नियन्त्रणाधीन जनपद एटा के ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञापन पट्ट, क्यास, दीवाल, प्रचार तथा अन्य प्रचार कार्य को विनियमित एवं नियन्त्रित करने के उद्देश्य से उपविधियाँ बनायी है, जो सर्वसाधारण को सुझाव एवं आपत्ति आमन्त्रण हेतु प्रकाशित की जा रही हैं, प्रकाशन की तिथि से तीस दिवस के अन्दर प्राप्त आपत्तियाँ एवं सुझावों पर ही विचार किया जायेगा।

अतः मै, गौरव दयाल, आयुक्त, अलीगढ मण्डल, अलीगढ़ उक्त अधिनियम की धारा 242 (2) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके इनकी पुष्टि करते हुये एतदद्वारा प्रकाशित करता हूँ। यह उपविधियाँ प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

उपविधियाँ

1-यह उपविधि क्षेत्र में विज्ञापन पट्ट, क्यास तथा दीवाल प्रचार कार्य को नियन्त्रण एवं विनियमन की उपविधियाँ कहलायेगी।

2-यह उपविधियाँ आयुक्त अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़ द्वारा पुष्टि होने एवं तत्पश्चात् गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।

3-परिभाषायें-(अ) ग्रामीण क्षेत्र का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 यथा संशोधित 1994 की धारा 2(10) से तथा परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र से हैं।

(ब) विज्ञापन पट्ट का तात्पर्य ऐसी होर्डिंग से है जो किसी लोहे या लकड़ी के स्तम्भ के सहारे खड़ी की गयी हो या लगायी गयी हो।

(स) क्यास का तात्पर्य ऐसे साइन बोर्ड से है जो किसी बिजली के खम्भे, टेलीफोन के खम्भे अथवा दीवाल या वृक्ष के सहारे लगाया गया है।

(द) दीवाल प्रचार का तात्पर्य ऐसी विज्ञापन सामग्री से है जो किसी दीवाल पर पेंट, चूना, खड़िया, गेरू आदि से लिखित चित्रित एवं चिन्हित क्रिया गया हो।

(य) अन्य प्रचार सामग्री का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी टीन या कपड़े से या फ्लैक्स बोर्ड पर लिखित चित्रित एवं चिन्हित करके लगाया गया हो।

4-कोई भी व्यक्ति एटा जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में उपविधि की धारा-13 के अन्तर्गत निर्धारित लाईसेंस शुल्क जमा करके तथा विधिवत् अनुमति प्राप्त करके ही बिज्ञापन पट्ट, क्यास लगायेगा तथा दीवाल प्रचार व अन्य प्रचार कार्य करेगा, अन्यथा किसी भी दशा में नहीं।

5-इस उपविधियों के अन्तर्गत मुख्य अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी लाईसेसिंग अधिकारी होगें या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी भी लाईसेंस निर्गत कर सकते हैं।

6-लाईसेंस अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील आदेश की सूचना मिलने पर 15 दिवस के अन्दर जिला पंचायत, एटा के समक्ष हो सकेगी और अध्यक्ष जिला पंचायत का आदेश मानना दोनों पक्षों को बाध्यकारी होगा।

7-केवल उन्हीं विज्ञापन पट्टों, क्यासों व दीवाल प्रचार व अन्य प्रचार सामग्री को प्रदर्शित, स्थापित एवं चित्रित करने की अनुमति दी जायेगी जो अश्लील न हो और किसी भी तरह समाज विरोधी न हो।

प्रति प्रमाणित

प्रशासनिक अधिकारी
जिला पंचायत एटा

8–लाईसेंस के इच्छुक व्यक्ति/संस्था, फर्म अथवा कम्पनी को विज्ञापन सामग्री की साइज व किस्म विवरण विज्ञापन पट्ट, क्यास, दीवाल प्रचार व अन्य प्रचार सामग्री की साइज व किस्म किस स्थान पर विज्ञापन प्रकाशित करना है को भी इंगित करते हुए एक प्रार्थना-पत्र कार्यालय जिला पंचायत, एटा में प्रस्तुत करना होगा। लाईसेंस अधिकारी स्वयं या अधिकृत अधिकारी या कर्मचारी के माध्यम से स्थल का निरीक्षण करा सकता है। निरीक्षण में इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि उक्त विज्ञापन पट्ट, क्यास, दीवाल प्रचार तथा अन्य प्रचार सामग्री किसी ऐसे स्थान पर न हो, जिससे यातायात में बाधा उपस्थित हो और वाहन चालकों की असुविधा के कारण दुर्घटना सम्भव हो, तदुपरान्त निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात् लाईसेंस जारी करेगा।

9–लाईसेंस अधिकारी किसी भी ऐसे विज्ञापन पट्ट, क्यास, दीवाल प्रचार या अन्य प्रचार सामग्री को हटवा सकता है, जो कि इन उपविधियों के अन्तर्गत उपयुक्त न पाये गये हों। लाईसेंस अधिकारी को यह भी अधिकार होगा कि ऐसे विज्ञापन पट्ट, क्यास, दीवाल प्रचार तथा अन्य प्रचार सामग्री हटाने में जो व्यय आदि हुआ हो, वह सम्बन्धित व्यक्ति/संस्था अथवा कम्पनी से राजस्व के बकाये की भांति वसूल कर सकता है।

10–विज्ञापन पट्ट, क्यास, दीवाल प्रचार तथा अन्य सामग्री की दरें निम्न प्रकार होंगी–

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	विज्ञापन पट्ट की शुल्क दर प्रति फुट	क्यास की शुल्क दर	दीवार प्रचार तथा अन्य प्रचार सामग्री की शुल्क दरें
1	2	3	4	5
		रु0	रु0	रु0
1	एटा से अलीगढ़ रोड (प्रतिवर्ष)	50.00	50.00	150.00
2	एटा से कानपुर रोड (प्रतिवर्ष)	50.00	50.00	150.00
3	एटा से आगरा रोड (प्रतिवर्ष)	50.00	50.00	150.00
4	एटा से शिकोहाबाद रोड (प्रतिवर्ष)	50.00	50.00	150.00
5	एटा से कासगंज रोड (प्रतिवर्ष)	50.00	50.00	150.00
6	एटा से अलीगंज रोड (प्रतिवर्ष)	50.00	50.00	150.00
7	अलीगंज से कायमगंज रोड (प्रतिवर्ष)	50.00	50.00	150.00
8	एटा–जलेसर वाया निधौली रोड (प्रतिवर्ष)	25.00	25.00	75.00
9	अलीगढ़–जलेसर रोड (प्रतिवर्ष)	25.00	25.00	75.00
10	जलेसर–आगरा रोड (प्रतिवर्ष)	25.00	25.00	75.00
11	एटा–सहावर रोड (प्रतिवर्ष)	15.00	25.00	50.00
12	एटा–गंजडुण्डवारा रोड (प्रतिवर्ष)	15.00	25.00	50.00
13	एटा–मारहरा रोड (प्रतिवर्ष)	15.00	25.00	50.00
14	एटा–सकीट रोड वाया जी0आई0सी0 (प्रतिवर्ष)	15.00	25.00	50.00
15	एटा–सकीट रोड वाया चंपरई (प्रतिवर्ष)	15.00	25.00	50.00
16	करतला–औंछा रोड (प्रतिवर्ष)	15.00	25.00	50.00

प्रति प्रमाणित

प्रशासनिक अधिकारी
जिला पंचायत एटा

1	2	3	4	5
		रु0	रु0	रु0
17	मलावन–गोला कुँआ रोड (प्रतिवर्ष)	15.00	25.00	50.00
18	अलीगंज–सराय अगहत रोड (प्रतिवर्ष)	15.00	25.00	50.00
19	अलीगंज–मैनपुरी रोड (प्रतिवर्ष)	15.00	25.00	50.00
20	अलीगंज–कुरावली रोड (प्रतिवर्ष)	15.00	25.00	50.00
21	जैथरा–कुरावली रोड (प्रतिवर्ष)	15.00	25.00	50.00

11–अस्थायी लाईसेंस दरें, टूरिंग टाकिक तथा सर्कस प्रदर्शन के लिए पट, क्यास, दीवाल प्रचार तथा अन्य प्रचार सामग्री की उपविधि की धारा 01 में वर्णित दरों की एक चौथाई होगी, भले ही प्रदर्शन की अवधि तीन माह से कम हो।

12–धारा 10 के अन्तर्गत निर्धारित दरों में परिवर्तन/परिवर्धन जिला पंचायत में विशेष प्रस्ताव से किया जा सकता है।

13–जिला पंचायत हित में लाईसेंस शुल्क वसूली का कार्य जनपदवार /तहसीलदार, खुली निविदा आमन्त्रित कर ठेके पर भी कराया जा सकता है। ठेके पद्धति के लिए ठेकेदारों के सम्बन्ध में जिला पंचायत अपने हित में शर्तों का निर्धारण कर सकती है।

14–केन्द्र तथा प्रदेश सरकार का नीतियों/कार्यक्रमों के प्रचार, प्रसार हेतु सरकारी विभागों द्वारा लगाये गये विज्ञापन पट्ट, क्यास, दीवाल प्रचार व अन्य प्रचार सामग्री इन उपविधियों के अन्तर्गत उक्त लाईसेंस मुक्त होगी।

15–भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार के किन्ही अधिनियमों, नियमावलियों अथवा शासनादेश व विज्ञापन पट्ट, क्यास, दीवाल प्रचार तथा अन्य प्रचार सामग्रियों के सम्बन्ध में जारी निर्देश यथावत लागू माने जायेंगे।

16–भारत निर्वाचन आयोग अथवा राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन नियन्त्रण एवं निर्देश में सम्पन्न होने वाले चुनाव में सम्बन्धित प्रचार सामग्रियों एवं उपविधियों के अन्तर्गत लाईसेंस व्यवस्था से मुक्त समझे जायेंगे। शर्त यह है कि उपरोक्त निर्वाचन आयोग द्वारा अन्यथा दिशा–निर्देश न जारी किये गये हों।

17–इन उपविधियों के अन्तर्गत लाईसेंस की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च होगी। आगामी 30 अप्रैल तक जैसे भी हो, उपविधि की धारा 10 में निर्धारित शुल्क जमा करके नवीनीकरण किया जा सकेगा, यदि लाईसेंसधारी द्वारा 30 अप्रैल तक अपना लाईसेंस नवीनीकृत नहीं कराया तो प्रति तिमाही लाईसेंस शुल्क की 25 प्रतिशत अतिरिक्त बिलम्ब शुल्क देने पर ही नवीनीकरण किया जा सकेगा।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 तथा संशोधित, 1984 की धारा 240 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, एटा घोषणा करती है कि उपरोक्त में से किसी भी उपविधि का उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर अंकन रु0 1,000.00 तक का अर्थदण्ड दिया जा सकता है तथा प्रथम दोष सिद्ध हो जाने पर प्रत्येक ऐसे दिवस के लिए जिस में उल्लंघन जारी रहा है तो रु0 50.00 प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदण्ड किया जा सकता है और अर्थदण्ड जमा न होने पर तीन माह का कारावास भी दण्ड दिया जा सकता है।

गौरव दयाल,
आयुक्त,
अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़। प्रति प्रमाणित

प्रशासनिक अधिकारी
जिला पंचायत एटा

25 अप्रैल, 2022 ई0

चिमनी भट्टे की पूर्व स्वीकृति उपविधियाँ

सं0 1853/एल0बी0ए0/2022-23—जिला पंचायत, एटा ने चिमनी भट्टे की पूर्व स्वीकृति उपविधियों में उपविधि की धारा 06, 08 एवं 13 में संशोधन किये जाने का प्रस्ताव किया है। जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 यथा संशोधित 1994 की धारा 242 (2) के अधीन जनसाधरण को सूचनार्थ एवं उन पर आपत्ति तथा सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित की जाती है। उन आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किया जायेगा जो प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर कार्यालय में प्राप्त होगें। प्राप्त आपत्तियों पर विचार कर उन्हे अन्तिम रूप देते हुए आयुक्त अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़ को अनुमोदनार्थ हेतु प्रेषित की जायेगी।

अतः मै गौरव दयाल, आयुक्त अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़ उक्त अधिनियम की धारा 242(2) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इनकी पुष्टि करते हुये एतद्द्वारा प्रकाशित करता हूँ। यह उपविधियां प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी।

संशोधित उपविधियाँ

वर्तमान प्रचलित उपविधि	प्रस्तावित उपविधि
उपविधि सं0 6—अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप पर किया जायेगा। जो निर्धारित शुल्क जमा कर जिला पंचायत,एटा के कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा। इसका मूल्य नये चिमनी भट्टे के लिये मु0 100 तथा नवीनीकरण के लिये मु0 50 प्रति आवेदन-पत्र होगा।	उपविधि सं0 6—अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप पर किया जायेगा। जो निर्धारित शुल्क जमा कर जिला पंचायत,एटा के कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा। इसका मूल्य नये चिमनी भट्टे के लिये मु0 500 तथा नवीनीकरण के लिये मु0 200 प्रति आवेदन-पत्र होगा।
उपविधि सं0 08—शुल्क निम्न लिखित होगा। अ चिमनी भट्टा 4,000.00 ब बिना चिमनी के ईट भट्टा 200.00 स टाइल्स अनुज्ञा-पत्र 1,000.00 द चूना या सुर्खी इंजन की शक्ति द्वारा बनाने या फूंकने का अनुज्ञा-पत्र 1,000.00 य चूना या सुर्खी बैल, चक्की द्वारा बनाने या फूंकने का अनुज्ञा-पत्र शुल्क 500.00	उपविधि सं0 08—शुल्क निम्न लिखित होगा। अ चिमनी भट्टा 10,000.00 ब बिना चिमनी के ईट भट्टा 1,000.00 स टाइल्स अनुज्ञा-पत्र 3,000.00 द चूना या सुर्खी इंजन की शक्ति द्वारा बनाने या फूकने का अनुज्ञा-पत्र 2,000.00 य चूना या सुर्खी बैल, चक्की द्वारा बनाने या फूकने का अनुज्ञा-पत्र शुल्क 1,000.00
उपविधि सं0 13—प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर तक नवीनीकरण न कराने पर चिमनी भट्टा के लिए विलम्ब शुल्क मु0 रु0 500.00 तथा अन्य के लिये विलम्ब शुल्क मु0 रु0 100.00 देना होगा। तत्पश्चात् लाइसेन्स निरस्तीकरण की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।	उपविधि सं0 13—प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर तक नवीनीकरण न कराने पर चिमनी भट्टा के लिए विलम्ब शुल्क मु0 रु0 1,000.00 तथा अन्य के लिये विलम्ब शुल्क मु0 रु0 200.00 देना होगा। तत्पश्चात लाइसेन्स निरस्तीकरण की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। 30 सितम्बर तक शुल्क जमा नहीं होता है तो भू राजस्व की भाँति वसूली कार्यवाही की जायेगी। जिला पंचायत, एटा को यह भी अधिकार होगा कि उपविधि की धारा 08 में निर्धारित शुल्क में प्रत्येक तीन वर्ष बाद 25 प्रतिशत धनराशि की बढ़ोत्तरी कर सकेगी।

अतः उपरोक्त प्रस्तावित उपविधि में दर्शाये गये संशोधित दरों की पुष्टि कर उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 242(2) के अधीन प्रस्तावित उपविधि में की गयी संशोधित दरों को अनुमोदित कर उत्तर प्रदेश गजट में प्रकाशित कराये जाने का कष्ट करें।

प्रति प्रमाणित

प्रशासनिक अधिकारी
जिला पंचायत एटा

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 तथा संशोधित–1984 की धारा 240 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत एटा घोषणा करती है कि उपरोक्त में से किसी भी उपविधि का उल्लघन करने पर उल्लंघनकर्ता को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर अंकन रु0 1,000.00 तक का अर्थदण्ड दिया जा सकता है तथा प्रथम दोष सिद्ध हो जाने पर प्रत्येक ऐसे दिवस के लिए जिस में उल्लंघन जारी रहा है तो रु0 50.00 प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदण्ड किया जा सकता है और अर्थवण्ड जमा न होने पर तीन माह का कारावास भी दण्ड दिया जा सकता है।

गौरव दयाल
आयुक्त
अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।

25 अप्रैल, 2022 ई0

खोआ भट्टी की पूर्व स्वीकृति उपविधियाँ

सं0 1854/एल0बी0ए0/2022-23–जिला पंचायत, एटा ने खोआ भट्टी की पूर्व स्वीकृति उपविधियों में उपविधि संख्या 11 व 12 में संशोधन किये जाने का प्रस्ताव किया है। जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 यथा संशोधित 1994 की धारा 242(2) के अधीन जनसाधरण को सूचनार्थ एवं उन पर आपत्ति तथा सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित की जाती है। उन आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किया जायेगा जो प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर कार्यालय में प्राप्त होगें। प्राप्त आपत्तियों पर विचार कर उन्हें अन्तिम रूप देते हुए आयुक्त अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़ को अनुमोदनार्थ हेतु प्रेषित की जायेगी।

अतः मै, गौरव दयाल, आयुक्त अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़ उक्त अधिनियम की धारा 242(2) के अधीन प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग कर इनकी पुष्टि करते हुये एतद्द्वारा प्रकाशित करता हूँ। यह उपविधियां प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

संशोधित उपविधियाँ

वर्तमान प्रचलित उपविधि	प्रस्तावित उपविधि
उपविधि सं0 11–खोआ बनाने अथवा उसका व्यवसाय करने वाले व्यक्ति की लाइसेन्स शुल्क के रूप में रु0 500.00 प्रतिवर्ष अदा कराना होगा तथा यही शुल्क नवीनीकरण की दशा में भी भुगतान करना होगा।	उपविधि सं0 11–खोआ बनाने अथवा उसका व्यवसाय करने वाले व्यक्ति की लाइसेन्स शुल्क के रूप में रु0 1,000.00 प्रतिवर्ष अदा कराना होगा तथा यही शुल्क नवीनीकरण की दशा मे भी भुगतान करना होगा। जिला पंचायत एटा को प्रत्येक तीन वर्ष के बाद शुल्क में 25 प्रतिशत की वृद्धि करने का अधिकार होगा।
उपविधि सं0 12–निर्धारित शुल्क का भुगतान वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के एक माह के अन्दर अर्थात 30 अप्रैल तक जमा करना अनिवार्य है। निर्धारित समय में भुगतान न करने पर विलम्ब शुल्क रु0 50.00 का भुगतान करने पर ही नवीनीकरण स्वीकार किया जा सकेगा।	उपविधि सं0 12–निर्धारित शुल्क का भुगतान वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के एक माह के अन्दर अर्थात 30 अप्रैल तक जमा करना अनिवार्य है। निर्धारित समय में भुगतान न करने पर विलम्ब शुल्क रु0 200.00 का भुगतान करने पर ही नवीनीकरण स्वीकार किया जा सकेगा।

अतः उपरोक्त प्रस्तावित उपविधि में दर्शाये गये संशोधित दरो की पुष्टि कर उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 242(2) के अधीन प्रस्तावित उपविधि में की गयी संशोधित दरों को अनुमोदित कर उत्तर प्रदेश गजट में प्रकाशित कराये जाने का कष्ट करें।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 तथा संशोधित, 1984 की धारा 240 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, एटा घोषणा करती है कि उपरोक्त में से किसी भी उपविधि का उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर अंकन रु0 1,000.00 तक का अर्थदण्ड दिया जा सकता है तथा प्रथम दोष सिद्ध हो जाने पर प्रत्येक ऐसे दिवस के लिए जिस में उल्लंघन जारी रहा है तो रु0 50.00 प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदण्ड किया जा सकता है और अर्थदण्ड जमा न होने पर तीन माह का कारावास भी दण्ड दिया जा सकता है।

गौरव दयाल,
आयुक्त,
अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।

प्रति प्रमाणित

प्रशासनिक अधिकारी
जिला पंचायत एटा

उद्योग, संग्रह केन्द्र तथा उत्पादन एवं बिक्री केन्द्र विनियमित करने सम्बन्धी उपविधियाँ

25 अप्रैल, 2022 ई०

सं0 1855/एल0बी0ए0/2022-23—जिला पंचायत, एटा ने उद्योग, संग्रह केन्द्र तथा उत्पादन एवं बिक्री केन्द्र की पूर्व स्वीकृति उपविधियों में उपविधि संख्या 18 में संशोधन किये जाने का प्रस्ताव किया है। जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत अधिनियम, 1961 यथा संशोधित, 1994 की धारा 242 (2) के अधीन जनसाधरण को सूचनार्थ एवं उन पर आपत्ति तथा सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित की जाती है। उन आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किया जायेगा जो प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर कार्यालय में प्राप्त होगें। प्राप्त आपत्तियों पर विचार कर उन्हे अन्तिम रूप देते हुए आयुक्त अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़ को अनुमोदनार्थ हेतु प्रेषित की जायेगी।

अतः मै, गौरव दयाल, आयुक्त अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़ उक्त अधिनियम की धारा 242(2) के अधीन प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग कर इनकी पुष्टि करते हुये एतदद्वारा प्रकाशित करता हूँ। यह उपविधिया प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

संशोधित उपविधियाँ

वर्तमान शुल्क	संशोधित प्रस्तावित शुल्क
लाइसेंस शुल्क प्रतिवर्ष निम्न प्रकार होगी तथा नवीनीकरण के लिये भी वही शुल्क जमा कर नवीनीकरण कराया जा सकता है।	लाइसेंस शुल्क प्रतिवर्ष निम्न प्रकार होगा तथा नवीनीकरण के लिये भी वही शुल्क जमा नवीनीकरण कर कराया जा सकता है। जिला पंचायत, एटा को प्रत्येक तीन वर्ष के बाद निम्न शुल्क में 25 प्रतिशत की वृद्धि करने का अधिकार होगा।

क्र0 सं0	नाम मद	वर्तमान शुल्क	क्र0सं0	नाम मद	प्रस्तावित शुल्क
1	2	3	4	5	6
		रु0			रु0
1	चीनी मिल	5,000.00	1	चीनी मिल	10,000.00
2	सल्फर प्लान्ट	500.00	2	सल्फर प्लान्ट	2,000.00
3	गन्ना पेरने का क्रेशर	500.00	3	गन्ना पेरने का क्रेशर	2,000.00
4	गन्ना पेरने का शक्ति चालक खाउ कोल्हू	200.00	4	गन्ना पेरने का शक्ति चालक खाउ कोल्हू	1,000.00
5	खॉड मशीन पावर	200.00	5	खॉड मशीन पावर	1,000.00
6	आटा चक्की	150.00	6	आटा चक्की	300.00
7	तेल कोल्हू	100.00	7	तेल कोल्हू	300.00
8	धान कूटने की मशीन	150.00	8	धान कूटने की मशीन	250.00
9	रूई धुनने की मशीन	150.00	9	रूई धुनने की मशीन	150.00
10	खॉड मशीन दस्ती	100.00	10	खॉड मशीन दस्ती	200.00
11	आरा मशीन व खराद	200.00	11	आरा मशीन व खराद	500.00
12	धान से चावल निकालने का कारखाना	1,000.00	12	धान से चावल निकालने का कारखाना	5,000.00

प्रति प्रमाणित

प्रशासनिक अधिकारी
जिला पंचायत एटा

1	2	3	4	5	6
		रु0			रु0
13	दूध से पाउडर या दूध से अन्य सामान बनाने का मिल	5,000.00	13	दूध से पाउडर या दूध से अन्य सामान बनाने का मिल	10,000.00
14	सरिया बनाने का मिल	500.00	14	सरिया बनाने का मिल	5000.00
15	फल तथा सब्जीयों को सुरक्षित रखने के लिये भण्डार (कोल्ड स्टोरेज)	2,000.00	15	फल तथा सब्जीयों को सुरक्षित रखने के लिये भण्डार (कोल्ड स्टोरेज)	10,000.00
16	पत्थर व ईंट की रोडी तोड़ने व पीसने का कार्य का कारखाना	500.00	16	पत्थर व ईंट की रोडी तोड़ने व पीसने का कार्य का कारखाना	3,000.00
17	वर्फ या वर्फ से वस्तुये बनाने का कारखाना	250.00	17	वर्फ या वर्फ से वस्तुये बनाने का कारखाना	500.00
18	साबुन फैक्ट्री	200.00	18	साबुन फैक्ट्री	3,000.00
19	कोच का सामान बनाना	200.00	19	कोच का सामान बनाना	500.00
20	पैट्रोल,डीजल तथा अन्य ज्वलन शील पदार्थ का संग्रह	500.00	20	पैट्रोल,डीजल तथा अन्य ज्वलन शील पदार्थ का संग्रह	5,000.00
21	मिनी सीमेन्ट प्लान्ट	2000.00	21	मिनी सीमेन्ट प्लान्ट	3,000.00
22	कपास से विनोला निकालने की मशीन	200.00	22	कपास से विनोला निकालने की मशीन	500.00
23	प्लास्टिक,नाइलोन की वस्तुयें बनाने का कारखाना	1000.00	23	प्लास्टिक,नाइलोन की वस्तुयें बनाने का कारखाना	2,000.00
24	अन्य मिल व फैक्ट्री	1,000.00	24	अन्य मिल व फैक्ट्री	2,000.00
25	गैस गोदाम	1,000.00	25	गैस गोदाम	5,000.00
26	केरोसिन ऑयल डिपो	0.00	26	केरोसिन ऑयल डिपो	5,000.00
27	स्टील अलमारी वर्क्सशॉप	0.00	27	स्टील अलमारी वर्क्सशॉप	3,000.00
28	शटरिंग व्यवसाय	0.00	28	शटरिंग व्यवसाय	1,000.00
29	धर्मकाटा	0.00	29	धर्मकाटा	1,500.00
30	कोल डिपो	0.00	30	कोल डिपो	500.00
31	मेथा प्लान्ट / शिवाला प्लान्ट	0.00	31	मेथा प्लान्ट / शिवाला प्लान्ट	1,000.00
32	दूध डेयरी	0.00	32	दूध डेयरी	1,000.00
33	नर्सरी	0.00	33	नर्सरी	500.00
34	बेकरी फैक्ट्री	0.00	34	बेकरी फैक्ट्री	4,000.00

प्रतिप्रमाणित

प्रशासनिक अधिकारी
जिला पंचायत एटा

1	2	3	4	5	6
		रु0			रु0
35	इण्टर लॉकिंग ब्रिक/टाइल्स निर्माता	0.00	35	इण्टर लॉकिंग ब्रिक/टाइल्स निर्माता	500.00
36	मिनरल वाटर	0.00	36	मिनरल वाटर	500.00
37	पोल्ट्री फार्म	0.00	37	पोल्ट्री फार्म	1,000.00
38	नमकीन कारखाना	0.00	38	नमकीन कारखाना	1,000.00
39	नर्सिंग होम	0.00	39	नर्सिंग होम	1,000.00
40	ट्रैक्टर ऐजेन्सी	0.00	40	ट्रैक्टर ऐजेन्सी	5,000.00
41	आटो मोबाइल ऐजेन्सी (चार पहिया)	0.00	41	आटो मोबाइल ऐजेन्सी (चार पहिया)	5,000.00
42	दो पहिया वाहन ऐजेन्सी	0.00	42	दो पहिया वाहन ऐजेन्सी	2,000.00
43	ट्रैक्टर चलित आटा चक्की	0.00	43	ट्रैक्टर चलित आटा चक्की	500.00
44	मिनी राईस मिल (पालेसर)	0.00	44	मिनी राईस मिल (पालेसर)	1,000.00
45	ट्रैक्टर की ट्राली निर्माता	0.00	45	ट्रैक्टर की ट्राली निर्माता	500.00
46	चाय फैक्ट्री/कॉफी फैक्ट्री	0.00	46	चाय फैक्ट्री/कॉफी फैक्ट्री	10,000.00
47	चकोरी प्लान्ट	0.00	47	चकोरी प्लान्ट	5,000.00

अतः उपरोक्त प्रस्तावित उपविधि में दर्शाये गये संशोधित दरों की पुष्टि कर उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 242(2) के अधीन प्रस्तावित उपविधि में की गयी संशोधित दरों को अनुमोदित कर उत्तर प्रदेश गजट में प्रकाशित कराये जाने का कष्ट करें।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 तथा संशोधित, 1984 की धारा 240 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत एटा घोषणा करती है कि उपरोक्त में से किसी भी उपविधि का उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर अंकन रु0 1000.00 तक का अर्थदण्ड दिया जा सकता है तथा प्रथम दोष सिद्ध हो जाने पर प्रत्येक ऐसे दिवस के लिए जिसमें उल्लंघन जारी रहा है तो रु0 50.00 प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदण्ड किया जा सकता है और अर्थदण्ड जमा न होने पर तीन माह का कारावास भी दण्ड दिया जा सकता है।

प्रति प्रमाणित

गौरव दयाल,
आयुक्त,
अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।

प्रशासनिक अधिकारी
जिला पंचायत एटा

25 अप्रैल, 2022 ई0

विभिन्न प्रकार के कारोबार व दुकानों आदि की पूर्व स्वीकृति उपविधियाँ

सं0 1856/एल0बी0ए0/2022-23--जिला पंचायत, एटा ने विभिन्न प्रकार के करोबार व दुकानों आदि की पूर्व स्वीकृति उपविधियों में उपविधि संख्या 03 (अ) में संशोधन किये जाने का प्रस्ताव किया है। जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 यथा संशोधित 1994 की धारा 242(2) के अधीन जनसाधरण को सूचनार्थ एवं उन पर आपत्ति तथा सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित की जाती है। उन आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किया जायेगा जो प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर कार्यालय में प्राप्त होगें। प्राप्त आपत्तियों पर बिचार कर उन्हे अन्तिम रूप देते हुए आयुक्त अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़ को अनुमोदनार्थ एवं गजट में प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित की जायेगी।

अतः मैं, गौरव दयाल, आयुक्त अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़ उक्त अधिनियम की धारा-242(2) के अधीन प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग कर इनकी पुष्टि करते हुये एतद्द्वारा प्रकाशित करता हूँ। यह उपविधिया प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

संशोधित उपविधियाँ

क्र0 सं0	नाम मद	वर्तमान दरें	क्र0 सं0	नाम मद	प्रस्तावित दरें
1	2	3	4	5	6
1	कपड़े की दुकान	100.00	1	कपड़े की दुकान	250.00
2	खाद्य सामिग्री की दुकानें जिसमें होटल और हलवायी,बूरा,बतासा,गुण,चीनी आदि सम्मिलित है।	100.00	2	खाद्य सामिग्री की दुकानें जिसमें होटल और हलवायी, बूरा, बतासा, गुण, चीनी आदि सम्मिलित है।	300.00
3	संयुक्त समाज की दुकान नलकूप,हैण्ड पम्प, कपड़े बनाने की दुकान सम्मिलित है।	100.00	3	संयुक्त समाज की दुकान नलकूप,हैण्ड पम्प, कपड़े बनाने की दुकान सम्मिलित है।	300.00
4	पान,तम्बाकू तथा बीड़ी, सिगरेट	50.00	4	पान,तम्बाकू तथा बीड़ी, सिगरेट	100.00
5	परचूनी	100.00	5	परचूनी	300.00
6	सुनारी की दुकान/सर्राफ	100.00	6	सुनारी की दुकान/सर्राफ	500.00
7	जूट/विसातखाना	50.00	7	जूट/विसातखाना	150.00
8	वर्तन की दुकान	100.00	8	वर्तन की दुकान	300.00
9	जूता, चप्पल, कपड़ा सिलाई आदि का दुकान	50.00	9	जूता, चप्पल,कपड़ा सिलाई आदि का दुकान	200.00
10	मेडीकल स्टोर	200.00	10	मेडीकल स्टोर	500.00
11	गल्ले की छोटी दुकान फड़ पर लगी दुकान	50.00	11	गल्ले की छोटी दुकान फड़ पर लगी दुकान	250.00
12	गल्ले की आढ़त/थोक व्यापारी	250.00	12	गल्ले की आढ़त/थोक व्यापारी	500.00
13	चिकित्सक/मेडिकल प्रेक्टिशनर	100.00	13	चिकित्सक/मेडिकल प्रेक्टिशनर	250.00
14	सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान	100.00	14	सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान	1,000.00
15	सीमेण्ट की दुकान	100.00	15	सीमेण्ट की दुकान	300.00
16	खाद की दुकान	100.00	16	खाद की दुकान	300.00
17	टेण्ट सामियाना की दुकान	100.00	17	टेण्ट सामियाना की दुकान	500.00

प्रति प्रमाणित

प्रशासनिक अधिकारी
जिला पंचायत एटा

1	2	3	4	5	6
18	पेन्ट—सरिया, भवन निर्माण सामग्री आदि	200.00	18	पेन्ट—सरिया, भवन निर्माण सामग्री आदि	500.00
19	मधपान के व्यवसाय / दुकान (अंग्रेजी शराब)	500.00	19	मधपान के व्यवसाय / दुकान (अंग्रेजी शराब)	1,000.00
20	देशी शराब की दुकान	1,000.00	20	देशी शराब की दुकान	1,500.00
21	साईकिल की दुकान	100.00	21	साईकिल की दुकान	500.00
22	मोटर साईकिल स्कूटर मरम्मत दुकान	100.00	22	मोटर साईकिल स्कूटर मरम्मत दुकान	250.00
23	साईकिल मरम्मत की दुकान	50.00	23	साईकिल मरम्मत की दुकान	100.00
24	दूध बेचने का व्यवसाय	100.00	24	दूध बेचने का व्यवसाय	100.00
25	दुध से क्रीम निकालने की मशीन	200.00	25	दुध से क्रीम निकालने की मशीन	500.00
26	लकड़ी के फर्नीचर की दुकान	0.00	26	लकड़ी के फर्नीचर की दुकान	300.00
27	लोहे के फर्नीचर (ग्रिल निर्माता)	0.00	27	लोहे के फर्नीचर (ग्रिल निर्माता)	500.00
28	साउण्ड सर्विस	0.00	28	साउण्ड सर्विस	250.00
29	मोबाइल विक्रेता / मरम्मत	0.00	29	मोबाइल विक्रेता / मरम्मत	250.00
30	स्टेशनरी की दुकान	0.00	30	स्टेशनरी की दुकान	250.00
31	सब्जी की आढ़त	0.00	31	सब्जी की आढ़त	500.00
32	इलैक्ट्रोनिक उपकरण की दुकान	0.00	32	इलैक्ट्रोनिक उपकरण की दुकान	250.00
33	बीज कीटनाशक विक्रेता	0.00	33	बीज कीटनाशक विक्रेता	500.00
34	फोटो स्टेट	0.00	34	फोटो स्टेट	200.00
35	प्रिटिंग प्रेस	0.00	35	प्रिटिंग प्रेस	300.00
36	प्लास्टिक फर्नीचर की दुकान	0.00	36	प्लास्टिक फर्नीचर की दुकान	300.00
37	फोटो स्टूडियों	0.00	37	फोटो स्टूडियों	250.00
38	स्क्रैप विक्रेता (कवाड़ी)	0.00	38	स्क्रैप विक्रेता (कवाड़ी)	250.00
39	बैट्री निर्माता	0.00	39	बैट्री निर्माता	300.00
40	टेलरिंग शॉप (तीन मशीन से अधिक)	0.00	40	टेलरिंग शॉप (तीन मशीन से अधिक)	250.00
				जिला पंचायत,एटा को प्रत्येक तीन वर्ष के बाद उपरोक्त शुल्क में 25 प्रतिशत की वृद्वि करने का अधिकार होगा।	

अतः उपरोक्त प्रस्तावित उपविधि में दर्शाये गये संशोधित दरों की पुष्टि कर उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 242 (2) के अधीन प्रस्तावित उपविधि में की गयी संशोधित दरों को अनुमोदित कर उत्तर प्रदेश गजट में प्रकाशित कराये जाने का कष्ट करें।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 तथा संशोधित, 1984 की धारा 240 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, एटा घोषणा करती है कि उपरोक्त में से किसी भी उपविधि का उल्लघन करने पर उल्लंघनकर्ता को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर अंकन रु0 1,000.00 तक का अर्थदण्ड दिया जा सकता है तथा प्रथम दोष सिद्ध हो जाने पर प्रत्येक ऐसे दिवस के लिए जिस में उल्लघन जारी रहा है तो रु0 50.00 प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदण्ड किया जा सकता है और अर्थदण्ड जमा न होने पर तीन माह का कारावास भी दण्ड दिया जा सकता है।

गौरव दयाल,
आयुक्त,
अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।

प्रति प्रमाणित

प्रशासनिक अधिकारी
जिला पंचायत एटा

25 अप्रैल, 2022 ई0

पशुमेलों, पशुपैठों, बाजारों, प्रदर्शनी, औद्योगिक प्रदर्शनी की पूर्व स्वीकृति उपविधियाँ

सं0 1857/एल0बी0ए0/2022-23–जिला पंचायत, एटा ने पशुमेलों, पशु पैठों, बाजारो, प्रदर्शनी, औद्योगिक प्रदर्शनी की पूर्व स्वीकृति उपविधियों में उपविधि संख्या 12 में संशोधन किये जाने का प्रस्ताव किया है। जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत अधिनियम, 1961 यथा संशोधित 1994 की धारा 242(2) के अधीन जनसाधरण को सूचनार्थ एवं उन पर आपत्ति तथा सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित की जाती है। उन आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किया जायेगा जो प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर कार्यालय में प्राप्त होगें। प्राप्त आपत्तियों पर विचार कर उन्हें अन्तिम रूप देते हुए आयुक्त अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़ को अनुमोदनार्थ हेतु प्रेषित की जायेगी।

अतः मै गौरव दयाल, आयुक्त अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़ उक्त अधिनियम की धारा 242(2) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर इनकी पुष्टि करते हुये एतद्द्वारा प्रकाशित करता हूँ। यह उपविधिया प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

संशोधित उपविधियाँ

वर्तमान प्रचलित उपविधि		प्रस्तावित उपविधि	
उपविधि सं0 12 प्रत्येक व्यक्ति जो पशुमेला, पशु मेला प्रदर्शनी एवं औद्योगिक प्रदर्शनी लगाना अथवा चलाना चाहता है। प्रतिवर्ष निम्न शुल्क देना होगा और यहीं शुल्क लाइसेन्स के नवीनीकरण पर देय होगा	रु0 प्रतिवर्ष	उपविधि सं0 12 प्रत्येक व्यक्ति जो पशुमेला, पशुपैठ, सब्जीपैठ एवं औद्योगिक प्रदर्शनी लगाना अथवा चलाना चाहता है, निम्न शुल्क जमा करना होगा और यही शुल्क लाइसेन्स नवीनीकरण पर लागू होगा:	रु0 प्रतिवर्ष
1. पशुमेला	2000.00	1. पशुमेला	5,000.00
2. पशुपैठ	1000.00	2. पशुपैठ	4,000.00
3. सब्जी पैठ	1000.00	3. सब्जी पैठ	4,000.00
4. मेला	1000.00	4. मेला	4,000.00
5. प्रदर्शनी एवं औद्योगिक प्रदर्शनी	2000.00	5. प्रदर्शनी एवं औद्योगिक प्रदर्शनी	4,000.00
		जिला पंचायत,एटा को प्रत्येक तीन वर्ष के बाद उपरोक्त शुल्क में 25 प्रतिशत की वृद्धि करने का अधिकार होगा।	

अतः उपरोक्त प्रस्तावित उपविधि में दर्शाये गये संशोधित दरों की पुष्टि कर उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 242 (2) के अधीन प्रस्तावित उपविधि में की गयी संशोधित दरों को अनुमोदित कर उत्तर प्रदेश गजट में प्रकाशित कराये जाने का कष्ट करें।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 तथा संशोधित, 1984 की धारा 240 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, एटा घोषणा करती है कि उपरोक्त में से किसी भी उपविधि का उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर अंकन रु0 1,000.00 तक का अर्थदण्ड दिया जा सकता है तथा प्रथम दोष सिद्ध हो जाने पर प्रत्येक ऐसे दिवस के लिए जिस में उल्लंघन जारी रहा है तो रु0 50.00 प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदण्ड किया जा सकता है और अर्थदण्ड जमा न होने पर तीन माह का कारावास भी दण्ड दिया जा सकता है।

गौरव दयाल,
आयुक्त,
अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।

पी0एस0यू0पी0–7 हिन्दी गजट–भाग 3–2022 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

प्रति प्रमाणित

प्रशासनिक अधिकारी
जिला पंचायत एटा